जिला दण्डाधिकारी–सह--उपायुक्त का कार्यालय प०सिंहभूम, चाईबासा।

अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

विधायक निधि के तहत प०सिंहभूम जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों/ संस्थानों/ पुस्तकालय में छात्र/ छात्राओं के सर्वांगीन विकास हेतु माननीय विधायक श्री शशि भूषण सामड, चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र द्वारा अनुशंसित बहुपयोगी पुस्तकों के क्रय/ आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित पुस्तक प्रकाशकों/ आपूर्तिकर्ताओं/ पुस्तक विक्रेताओं से **दिनांक 31.08.2016 को 11.00 बजे पूर्वाह्न** तक मुहरबन्द अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकता द्वारा संबंधित पुस्तकों की सूची किसी भी कार्य दिवस को (कार्यालय अवधि में) उप विकास आयुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय (जिला विकास शाखा) से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकृत नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदायें **दिनांक 31.08.2016 को ही अपराह्न 2.00** बजे गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

- सभी निविदायें द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelops System) के अनुसार डाली जायेगी।
- निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "तकनीकी बीड" लिखकर उसमे माँगे गये सारे कागजात और प्रमाण–पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करेंगे तथा उस पर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगें।
- दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "वित्तीय बीड" अंकित करेंगे उस लिफाफे में केवल पुस्तकों का दर अंकित करेगें और उसे लिफाफा में डालकर मुहरबंद करेंगें। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जायगा। उस लिफाफे पर भी अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगें।
- तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेगें और उस पर साफ–साफ लिखेंगें पुस्त हेतु निविदा। लिफाफे पर अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उप विकास आयुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा के नाम से मुहर बंद लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भेजेगें/ जमा करेंगे।
- पहले तकनीकी बीड खोली जायेगी और निविदादाताओं को उपस्थिति में ही उनका तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। जिन निविदादाताओं को तकनीकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्हीं का वित्तीय बीड खोला जाएगा।

तकनीकी निविदा की शर्तेः–

निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगेः–

1. तकनीकी निविदा में जमानत की राशि हेतु 25,000/– (पच्चीस हजार) रू० मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट, जो उप विकास आयुक्त प०सिंहभूम चाईबासा के पदनाम से तथा चाईबासा में भुगतेय होगा।
2. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ पत्र देना होगा।
3. I.T.R. (Income Tax Return) एवं पैंन नम्बर की छायाप्रति देना होगा।
4. ISO या ISBN No. प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना होगा।

वितीय निविदा की शर्तेः–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति को जानेवाली पुस्तकों की दर एवं उस पर छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगें।
2. नमूने के रूप में प्रस्तुत पुस्तकें रेल पार्सल से स्वीकार नहीं की जाएगी।

अन्य शर्तेः–

1. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 60 दिनों के अन्दर पूर्ण सेट सहित पुस्तक आपूर्ति संबंधित विद्यालयों/ संस्थानों में पहुँचा कर करनी होगी। आपूर्तिकर्ता को अगल से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही ट्रांस्पोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
2. आपुर्ति किये जाने वाले पुस्तक की राशि का भुगतान पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम देय नहीं होगा।
3. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर व्यायिक क्षेत्र प०सिंहभूम, चाईबासा होगा।

ह०/–

उप विकास आयुक्त,
प०सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक : 952....../वि०, दिनांक : 20-08-2016

प्रतिलिपि : जिला क्रय समिति के सभी सदस्यों ....को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि जिले के वेवसाईट पर उक्त निनिदा को अपलोड कराना सुनिश्चि किया जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि 03 (तीन) दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित करवाना सुनिश्चित किया जाय।

19/8/2016

उप विकास आयुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।